

प्रेषक,

प्रवीर कुमार,  
प्रमुख सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

1. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उत्तर प्रदेश।
3. निदेशक, स्थानीय निकाय, उ.प्र., लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग—1

लखनऊ: दिनांक: 23 जुलाई, 2012

विषय: नगरीय स्थानीय निकायों में अनियमित ढंग से नियुक्त संविदा कर्मियों की सेवायें समाप्त किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में उल्लेखनीय है कि प्रदेश के नागर निकायों में शासन के दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत संविदा के आधार पर नियुक्त सफाई कर्मियों के अतिरिक्त भारत सरकार से वित्त पोषित विभिन्न योजनाओं में, शासन की स्वीकृति के आधार पर तथा समय-समय पर मा० न्यायालयों के पारित आदेशों के अन्तर्गत संविदा के आधार पर नियुक्तियाँ की गयी हैं। शासन के संज्ञान में आया है कि नियम विरुद्ध एवं मनमाने ढंग से स्वेच्छाचारी रूप से तथा निहित स्वार्थवश अनुचित लाभ पाने के उद्देश्य से शासन के आदेशों के विपरीत भी निकायों में संविदा के आधार पर अनेकों नियुक्तियाँ की गयी हैं, जिससे निकायों पर वित्तीय भार बढ़ गया है।

2. अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन के निर्देशों के अन्तर्गत, नियमानुसार भारत सरकार से वित्त पोषित विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत अनुमन्य तथा मा० न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में नियुक्त संविदा कर्मियों को छोड़ते हुए, समस्त नागर निकायों में नियमों के विपरीत अनियमित एवं मनमाने ढंग से रखे गये समस्त संविदा कर्मियों की सेवायें तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जाएं। यह भी सुनिश्चित किया जाये कि ऐसे किसी भी संविदा कर्मी को अगले माह से निकाय निधि से वेतन का आहरण न हो।

3. इस संबंध में निदेशक, स्थानीय निकाय द्वारा शासन के दिशा-निर्देशों, भारत सरकार से वित्त पोषित विभिन्न योजनाओं में तथा मा० न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में नियुक्त संविदा कर्मियों का विवरण संलग्न प्रारूप पर शासन को लौटती डाक से उपलब्ध कराने का कष्ट करें। कृपया उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

संलग्नक—यथोक्त।

(प्रवीर कुमार)  
प्रमुख सचिव।

स्थानीय निकाय निदेशालय, उ०प्र०

इन्दिरा भवन, लखनऊ

संख्या: 6 / 183 / लोकप्राप्ति / 12

लखनऊ: दिनांक: जुलाई 31, 2012

प्रतिलिपि निम्नांकित को इस आशय से प्रेषित कि निदेशालय की बेवसाइट localbodies.up.nic.in के प्रारूप 27 "संविदा कर्मियों का विवरण" पर सूचना तत्काल अपलोड करायी जाये:—

- 1— नगर आयुक्त, समस्त नगर निगम, उ०प्र०
- 2— महाप्रबन्धक, जल संस्थान, झांसी / चित्रकूट—बांदा
- 3— अधिशासी अधिकारी, समस्त नगर पालिका परिषदे / नगर पंचायतें, उ०प्र०

(कु० रेखा गुप्ता)  
निदेशक